

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

कम्प्यूटर संख्या-

राज्य

बनाम

मुरारी आदि

आदेश

अभियुक्त ताराराम की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र मु0अ0सं 538/05 अन्तर्गत धारा 294,506 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली गोला जिला खीरी में प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त वारण्ट पर कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/-रु0 का स्वबन्ध-पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

सी0जे0एम0

खीरी।

29-6-2019